

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान

क्रमांक: अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/न.ऑ./एफ- /2022/1137

दिनांक: 15/11/2022

1. निदेशक, जनस्वा0/आरसीएच/आई.ई.सी./एड्स/आर.आर.सी/मोबाईल सर्जिकल यूनिट/SIHFW
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज/झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसायटी/राजकीय डेन्टल कॉलेज।
3. परियोजना निदेशक, एनएचएम/एड्स।
4. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
9. उप निदेशक, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।

विषय:- नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2022 हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा वर्ष 2022 में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के पद को भरे जाने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों के संदर्भ में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 19 में बोनस अंक दिये जाने के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों की विभिन्न योजनाओं में समरूप कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अनुभव का लाभ दिया जाना है, जिसके लिये अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

इन नियमों में उल्लेखित योजनाओं में संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/ आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत है/रहे है। उन अभ्यर्थियों को बोनस अंक हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से विज्ञापित पद के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का जारी किये गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाईन आवेदन आरम्भ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक ही की जावेगी। अनुभव प्रमाण पत्र का परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
2. फार्मासिस्ट पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय आवेदक को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, एड्स नियंत्रण सोसायटी, सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार, सहकारी उपभोक्ता भण्डार और अन्य सहकारी संस्थानों के अधीन सहकारी विभाग में एवं राज्य सरकार के अधीन समरूप कार्य करने की अनुभव अवधि को ध्यान में रखते हुये विभाग के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. फार्मासिस्ट के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय आवेदक को सरकार के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष, एड्स नियंत्रण सोसायटी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी. सी.पी.), झालावाड़ अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) एवं राज्य सरकार के अधीन समरूप कार्य करने की अनुभव अवधि को ध्यान में रखते हुये विभाग के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. अतः बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के अनुसार राजस्थान सरकार के अधीन संचालित समस्त चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित योजनाओं में समरूप कार्य करने वाले संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/यू.टी.बी. पर एमआरएस/प्लेसमेंट एजेंसी/एन.जी.ओ./108/पी.पी.पी. मोड के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को दी गई सेवाओं का अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी एवं सत्यापन करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर जारी किया जावे। निजी चिकित्सा संस्थानों एवं योजनाओं में कार्यरत किसी भी कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
5. प्लेसमेंट एजेंसी/एन.जी.ओ./108 एम्बुलेंस/पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत पात्र संविदा कार्मिकों के प्रमाण पत्र भी अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी एवं सत्यापन करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर जारी किए जायेगें। अतः अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी इनके माध्यम से कार्यरत पात्र संविदा, कार्मिकों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने से संबंधित समस्त दस्तावेज/रिकार्ड संबंधित एजेंसी/एनजीओ से प्राप्त कर इसके आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें।
6. विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाये। इस अनुभव प्रमाण पत्र पर जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम मय सील के स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है, जिस पर कार्यालय प्रक्रियानुसार विधिवत रूप से डिस्पेच नम्बर एवं दिनांक अंकित किया जाना अनिवार्य है। यह अनुभव प्रमाण पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जावे जिसकी मुख्य प्रति अभ्यर्थी को द्वितीय प्रति संयुक्त निदेशक जोन/प्रधानाचार्य संबंधित मेडिकल कॉलेज, तृतीय प्रति निदेशक (अराजपत्रित), निदेशालय के लिये, जिसे आपके पास सुरक्षित रखी जावेगी एवं उनके

द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी तथा चतुर्थ प्रति आपके कार्यालय में सत्यापन के उद्देश्य से सुरक्षित रखी जाये।

7. ऑनलाईन आवेदन के लिये अनुभव के आधार पर वोनस अंक के दावे हेतु आवेदन पत्र के साथ पात्र आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में आवेदन करने वाले प्रार्थियों को समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना आपका दायित्व होगा। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर तीन दिवस में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें।
8. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकृत प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्य करने के संबंध में उसके पदस्थापित कार्यालय/संस्थान से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुये रिकार्ड का अवलोकन एवं विस्तृत जांच करने के पश्चात् पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरती जावे। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी प्रकार त्रुटि/लापरवाही के लिये जारीकर्ता अधिकारी पूर्ण जिम्मेदार होंगे।
9. संबंधित/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत है/रहे हैं उन कार्मिकों को कार्मिक की नियुक्ति, कार्य एवं भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल/पीएफ कटौती व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सम्पादित किए गए कार्य की प्रकृति आदि की जांच के पश्चात् ही, समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखने के पश्चात् (भविष्य में मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा) कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
10. राज्य सरकार के न्यूनतम मानदेय संबंधी नियम के अनुसार यदि अनुबंध मासिक है एवं मासिक भुगतान दर में 26 का भाग देकर दैनिक भुगतान दर निकाली गयी है तो 26 दिवस कार्य करने पर इस अवधि को 01 माह गिना जायेगा। अतः यदि कार्मिक ने 26 दिवस कार्य के एवज में पूर्ण माह का भुगतान प्राप्त कर लिया है तो 26 दिन को 01 माह गिना जायेगा। परिशिष्ट के बिन्दु संख्या 7.8 में अंकित कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर वोनस अंक दिये जाने हेतु अनुभव अवधि की गणना की जायेगी।
11. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित जोन के संयुक्त निदेशक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
13. विभाग के अधीन राजकीय चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न योजनाओं में संबंधित पर कार्यरत कार्मिकों को ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने हैं। निजी क्षेत्र/संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ देय नहीं है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र का प्रारूप।

(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 15/11/2022

क्रमांक: अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/न.ऑ./एफ- /2022/ 1137  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-5 एवं एनआरएचएम) विभाग।
9. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा./अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
11. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीन कार्यरत संबंधित कार्मिक को परिशिष्ट अ में जारी किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित किए जाने वाले समस्त बिन्दुओं की आपसे संबंधित सूचना/दस्तावेज तीन दिवस में संबंधित जारीकर्ता एवं सत्यापन करने वाले अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करवाये।
12. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सभी संबंधित अधिकारियों को ई-मेल पर प्रेषित करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
13. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान जयपुर